विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुदृढ होता है। उसके भीतर रह कर कोई भी प्राणी असुरक्षा अनुभव नहीं करता। –अज्ञात

बिना दोष सिद्धि के, जेल में बंद हैं हजारों लोग

भारतीय जेलों में बंद कैदी तीन श्रेणी के हैं। पहले वह जिनके ऊपर पुलिस, सीबीआई, ई डी अथवा अन्य किसी एजेंसी में एफ आई आर दर्ज है और उसकी जांच जारी है। संबंधित मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि न्यायालय उचित समझे तो उसे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। यह अवधि सामान्यतया 15 दिन की होती है किंतु कई बार बहुत लंबी भी हो जाती है।

दूसरे, वे होते हैं, जिनके ऊपर अभियोजन द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उन पर न्यायालय में सुनवाई जारी रहती है। इन्हें हम 'अंडर ट्रायल' के नाम से जानते हैं। इनमें भी कुछ लोगों को जमानत मिल जाती है और कई जेल में ही लंबे समय तक बंद रहते हैं। कुछ प्रकरणों में तो ऐसे भी होते हैं जो अपराध की अधिकतम सजा पूरी होने के बाद भी जेल में ही रहते हैं क्योंकि न्यायालय से निर्णय नहीं होता है।

तीसरे वह होते हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के पश्चात सजा दी जाती है। वे सजा की अवधि पूरी होने तक जेल में बंद रहते हैं। इन्हें कभी कभी आवश्यक निजी कारणों से 15 दिन की पैरोल मिल जाती है।

भारतीय जेल में अधिकतम 4.36 लाख कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में 5.73 लाख कैदी जेल में बंद है। इसका अर्थ यह हुआ की जेलों में क्षमता से 30 प्रतिशत अधिक व्यक्ति जेलों में इस समय बंद हैं। जेल में बंद व्यक्तियों में 4.34 लाख अंडरट्रायल्स हैं, अर्थात जेल में बंद कैदियों में 76 प्रतिशत वे कैदी हैं जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं और उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इनमें से अधिकांश निम्न आय वर्ग या निम्न मध्यम आय वर्ग के हैं। बंद कैदियों में महिलाओं की संख्या लगभग 20000 है एवं शेष पुरुष हैं। यह स्थिति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसी ही स्थितियों के लिए कहा गया है कि प्रक्रिया ही सजा से अधिक कष्टप्रद हो जाती है।

जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकते, किंतु चुनाव लड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह कि लगभग 4 लाख से अधिक मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित रहते हैं, जबकि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। गंभीर आरोप सिद्ध होने पर सजा भुगत रहे अपराधियों तक को अपील होने पर जमानत मिल जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई बार निजी कार्यों से पैरोल भी मिल जाती है, जो एक बार में 15 दिन की होती है। हाल ही में बाबा गुरमीत राम रहीम, जो कि हत्या और बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, को सातवीं बार पैरोल दी गई है। यह केवल मात्र संयोग नहीं है कि बाबा राम रहीम को किसी चुनाव के पहले ही पेरोल दी जाती है। स्पष्ट है, सत्ताधारी दल अपराधी बाबाओं का भी चुनावी लाभ उठाने से नहीं चूकता है।

एक ओर जहां सजा याफ़्ता अपराधी व्यक्तियों को पैरोल या जमानत पर कई बार छोड़ दिया जाता है, वहीं ऐसे व्यक्ति भी जेल में बंद हैं, जिन पर अभी तक मुकदमा न्यायालय में प्रारंभ ही नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तियों में कई तो ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या यू ए पी ए के अंतर्गत जेल में बंद किया गया है। ऐसे प्रकरणों में सामान्यतया न्यायालय से भी जमानत नहीं मिलती। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का शोध छात्र उमर खालिद सन् 2020 से जेल में बंद है उस पर अभी तक न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हुई है। यू ए पी ए के अंतर्गत दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली दंगों के दौरान गिरफ्तार किया था। इसके जमानत के प्रार्थना पत्र पर तीन बार न्यायालय में पूरी सुनवाई हो चुकी थी किंतु तीनों ही बार न्यायालय के निर्णय से पूर्व न्यायाधीश का तबादला होने से उसके प्रार्थना पत्र पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए वह बिना आरोप पत्र के ही चार साल से जेल में बंद है। अब फिर एक बार इसकी सुनवाई दोबारा प्रारंभ होगी। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति पर जांच एजेंसी अभी तक आरोप पत्र ही न्यायालय में दाखिल नहीं कर पाई उसे जेल में चार साल से बंद रहना पड़ रहा है। यदि वास्तव में उसके ऊपर कोई आरोप बनता तो अब तक जांच एजेंसी, अभियोजन के माध्यम से उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर चुकी होती। यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा समय-समय पर दिए गए उस फैसले की भावना के भी विरुद्ध है जहां यह कहा जाता है कि जमानत मिलना नियम है एवं जेल में रहना अपवाद। उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों और निर्देशों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक शोध छात्र, चार वर्ष से जेल में बंद है, तो यह सरकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग ही कहा जाएगा।

न्यायपालिका से अपेक्षा है कि वह जेल में बंद अंडर ट्रायल व्यक्तियों के मुकदमों की प्रभावी समीक्षा करके उनके जमानत के प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता से निर्णय करे, ताकि जेलों में अनावश्यक दबाव को कम किया जा सके। ऐसा करके कार्यपालिका द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधियों को प्रताड़ित किए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में भी न्यायपालिका सफल होगी।

होना तो यह चाहिए कि जो व्यक्ति दोषी है उस पर तत्काल मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाई जाए ताकि वह किए की सजा भुगते। केवल किसी पर आरोप लगा देना और उसे जांच के माध्यम से चार साल तक सिद्ध तक न कर पाना, किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन ही कहा जाएगा। न जाने कितने प्रकरण इसी प्रकार के होंगे जिनमें नागरिक अकारण ही जेलों में लंबे समय से बंद हैं। भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता को बहुत बड़ा मूल अधिकार मानता है और वही अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब के कारण लगभग समाप्त सा हो जाता है।

जांच एजेंसी, किस प्रकार सत्ता धारी दल के प्रभाव में आकर, सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने वालों को प्रताड़ित और परेशान कर सकती है, उसका एक और उदाहरण हाल ही में सामने आया है। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर 2017 में एक मुकदमा सी बी आई द्वारा आई सी आई सी आई बैंक का कर्ज न चुकाने के आरोप में एफ आई आर दर्ज की गई। इसकी जांच सात वर्षों तक करने के पश्चात अब सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है और इसी आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी गई है।यह सही है कि अब डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर किसी

प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किंतु इतने वर्षों तक उन्हें सी बी आई के माध्यम से जो प्रताडना झेलनी पड़ी, और उनकी प्रतिष्ठा को जो गिराया गया,उसे वापस कैसे लौटाया जा सकेगा? इसी अवधि में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें बाध्य होकर अपना चैनल एनडीटीवी गौतम अदानी ग्रुप को बेचना पड़ा। एनडीटीवी एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय चैनल था जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलने का साहस रखता था, वह भी ऐसे समय में, जब लगभग अन्य सभी मुख्य धारा के चैनल सरकार के महिमा मंडन में लगे हुए थे। सरकार को शायद यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सबक सिखाने की ठानी। उनके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी किया गया और विदेश जाने वाली फ्लाइट से उड़ान से ठीक पहले उतार दिया गया और विदेश नहीं जाने दिया गया। एनडीटीवी चैनल के अदानी समूह द्वारा खरीदे जाने के पश्चात उसके प्रमुख एंकर रवीश कुमार, श्रीनिवास जैन, निधि राज़दान आदि ने एनडीटीवी चैनल को छोड़ दिया। अब यह चैनल भी अन्य चैनलों की तरह ही सरकार की स्तुति में सम्मिलित हो गया।

भारतीय संविधान की उद्देश्यिका (जैंस्त) यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा. उसे बराबरी और समानता का अवसर मिलेगा। उसे अपने बात कहने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे देश में केवल अपनी बात रखने के आधार पर ही अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और उसकी जमानत पर ही निर्णय नहीं हो, स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इससे भारत की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय जगत में विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कई मामले हमने कुछ समय में देखे हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में बंद रखना सम्मिलित हैं।इन तीनों पर किसी प्रकार का कोई आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्रवाई प्रारंभ ही नहीं हुई, इसके बावजूद इन्हें जेल से बाहर आने में कई माह लग गए। इसी प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ई डी द्वारा गिरफ्तार किया गया था किंतु उन्हें भी न्यायालय के आदेश से कुछ समय बाद जमानत मिली। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार की गिरफ्तारी पर नाराजगी भी व्यक्त की।

दबाव और प्रताड़ना की यह राजनीति कुछ समय तक तो चल सकती है किंतु सत्ताधारियों को यह समझना होगा कि जनता उतनी मूर्ख नहीं है जितनी वे समझते हैं। समय आने पर अपने मत के माध्यम से वे अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। न्यायपालिका भी जाने अनजाने इस दमन चक्र में कार्यपालिका की सहायता करती हुई दिखाई देती है। किसी नागरिक के पास न्यायपालिका के पास जाना अंतिम सहारा होता है और वह भी जब कार्यपालिका के साथ खड़ी दिखाई दे तो फिर किसी भी निरपराध नागरिक अथवा जन प्रतिनिधि के पास कोई रास्ता नहीं बचता। राजनैतिक विरोधियों को लंबे समय तक बिना सुनवाई के जेल में बंद रखने से कुछ तात्कालिक राजनीतिक लाभ अवश्य संभव है और कुछ नेता इनमें से टूट कर सत्ता धारी दल के साथ भी आ जाएं किंतु इससे सत्ता धारी दल की साख पर बट्टा तो लगता ही है। यह कहना सही नहीं है कि सत्ता का दुरुपयोग विरोधियों को प्रसारित करने के लिए केवल वर्तमान में ही किया जा रहा है। पूर्व में कांग्रेस शासन काल में भी ऐसा अनेक बार किया गया, यहां तक कि इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए आपातकाल तक घोषित कर दिया गया।

न्यायपालिका से अपेक्षा है कि वह जेल में बंद अंडर ट्रायल व्यक्तियों के मुकदमों की प्रभावी समीक्षा करके उनके जमानत के प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता से निर्णय करे, ताकि जेलों में अनावश्यक दबाव को कम किया जा सके। ऐसा करके कार्यपालिका द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधियों को प्रताड़ित किए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में भी न्यायपालिका सफल होगी।

दुर्भाग्य से, सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने में जांच एजेंसियां भी प्रमुख भूमिका निभाने में लग गई हैं। इससे इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार कड़ी टिप्पणियां की हैं, किंतु लगता है कि इन एजेंसियों के अधिकारियों ने सरकार के समक्ष समर्पण करना ही स्वयं के भविष्य के लिए श्रेयस्कर समझ लिया है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ग्रामीण परिवेश व गांव-कस्बों को सजीव करती थी प्रेमचंदजी की कहानियां व उपन्यास

8 अक्टूबर, प्रेमचन्दजी की 88वीं पुण्यतिथि पर विशेष....

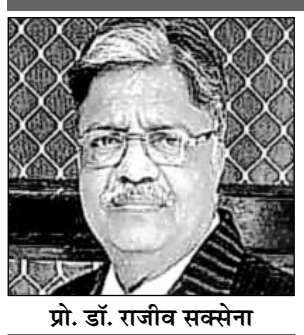

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

मुंशी प्रेमचंद जी : प्रेमचन्द जी का जन्म 31 जुलाई, 1880 को लमही गांव (वाराणसी-उत्तर प्रदेश) में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का श्री अजायबराय तथा माता का श्रीमति आनन्दी देवी था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर, 1936 को 56 वर्ष की अल्पायु में 'जलोदर' रोग द्वारा हुई।

कहानियों के मील का पत्थर भीष्म पितामह, पुरोधा, महा झूमर, सुमेरू पर्वत, जामवन्त, कायस्थ-कुल गौरव रत्न, हिन्दी व उर्दु भाषा के शेक्सपीयर व जन्मजात प्रतिभा युक्त मुंशी प्रेमचन्द जी, जो कि महानतम कहानीकार व उपन्यास सम्राट तथा एक महाकवि थे। सीधी सादी गंभीर बेलोस बेमुरव्वत व बेमोहब्बत, प्रभावी शक्ल के मालिक जिनका नाम धनपत राय भी था जो कि बिल्कुल गंवई, कस्बाई, भुच्च शक्ल व सांवले रंग के मालिक जो सामान्यत बंद गाढ़े का कुर्ता पजामा तथा चमरौधीं जूता पहनते थे जो चर्र-चर्र की आवाज करते थे, एक अलग ही शख्सियत, व्यक्तित्व था जो कि लोगों पर आसानी से हावी हो जाता था। मुंशी जी 31 जुलाई, 1880 को वाराणसी के लमही गाँव में जन्मे थे। परमादरणीय व अति सम्माननीय मुंशी जी की लेखनी हिन्दी व उर्दु दोनों भाषाओं में लाजवाब थी, त्वरित व समान चलती थी व आज भी एक वैश्विक व अन्तराष्ट्रीय पहचान बनी हुई है। प्रेमचन्द जी ने समकालिन व सम-सामयिक व यथार्थ परख जमीनी दुनिया से जुड़े हुए विषयों पर लगभग 300 से ज्यादा कहानियाँ लिखी व 15 के आसपास उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें व तीन नाटक लिखें तथा सैंकडो हजारों पन्नों के लेख संपादकीय, पत्रकारिता लेखन, भूमिका व भाषण लेखन साथ ही साथ काफी सारी रचनाएं व पत्र आदि लिखे, जो कि अपने आप में बेमिसाल तथा बेजोड़ थे। उनकी मुख्य कहानियों में ठाकुर का कुआ, पूस की रात, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफ़न, बड़े भाई साहब, नशा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, ईदगाह तथा मंत्र आदि आदि व उपन्यास, रंग भूमि, गोदान, गबन, सेवासदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि आदि व आखरी अधूरा लिखित उपन्यास 'मंगलसूत्र' था। ये बात आज भी 100 फीसदी सही है कि भारत की अनुमानत: 76 प्रतिशत आबादी छोटे-छोटे गाँव, कस्बों ढाणियों में बसती विचरती है, आदरणीय प्रेमचन्द जी ने इन्हीं सब पर अपना पूरा साहित्य उड़ेला।

आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द जी की 88वीं पुण्यतिथि है। प्रेमचन्द जी की रचनाएं आज भी कालजयी व प्रासांगिक है। उन्हें हिन्दी का शेक्सपीयर यूही नही कहा जाता है। उनकी प्रत्येक रचना, कहानी व उपन्यास हमेशा एक परम्परा व काली सच्चाई के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनका असली नाम धनपत राय था व उन्होंने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया तथा कहानियां लगभग 1907 से लिखना शुरू की। उनकी कहानियों व उपन्यासों में जमकर व तबीयत से लोकोक्तियों, कहावतों, मुहावरों तथा गंवई शब्दों व भाषा का उपयोग होता था।

1910 में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान उनकी कहानी 'सोजेवतन' जब्त कर ली गई तथा उसकी अनेकों प्रतियां फाड़ दी व जला दी गई। उस समय अंग्रेजों के शासन काल में जब लोग कानपुर से प्रसारित होने वाले अखबार में 'रफ्तार-ऐ-जमाना' जैसे कॉलम में वो लिखा करते थे व लोग उसे पढ़कर उनकी सराहना करते थे। अत: वो एक अच्छे पत्रकार व कवि भी थे। उर्दू भाषा में वो नवाबराय के नाम से लिखते थे। उन्होनें हिन्दी कहानियों, उपन्यास, रचनाओं व हिन्दी साहित्य को नये विविधाविविध बहु आयाम दिये। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की व 1930 में 'हंस पत्रिका' का प्रकाशन शुरू किया। साथ ही साथ कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया, उनमें प्रमुखत: हंस, जागरण, मर्यादा तथा माधुरी जैसी पत्रिकाएं भी थी।

लगभग 300 से ज्यादा लिखी कहानियों में आम आदमी की लिजलिजी जिन्दगी, गरीबी-अमीरी व उनकी चुभन, घुटन, प्रतिशोध, कसक, अंधविश्वास, दंभ व घमंड तथा रूढिवादी परंपराओं पर भरपूर प्रहार किया व हरेक जन व पाठकों को सोचने पर मजबूर किया। साथ ही साथ मानवीय मूल्यों को भी सहेज कर रखा जो उनकी कहानियों में स्पष्ट परिलक्षित व प्रभावी होते दिखते है। 1910 की घटना के बाद उनके परम मित्र दयानारायण निगम जो कि 'जमाना' अखबार के संपादक थे, उन्होंने, उन्हें प्रेमचन्द नाम से लिखने की सलाह दी तब उन्होंने नवाबराय नाम के बजाय प्रेमचन्द नाम से लिखना शुरू किया। 20वीं सदी के भारत में 1935 तक, उस दौरान जातिवाद, छुआछुत, संकीर्णता की भावना, साम्प्रादायिक संकीर्णता, ऊँच-नीच का भेदभाव, गरीबों मजदूरों व श्रमिको का शोषण तो चलता ही था तथा इन सबसे अलग व विशेषकर महिलाओं कोहेय व हीनदृष्टि से देखना अपने सर्वोच्चतम शिखर पर था। उस समय अंग्रेजों व फिरंगियों के राज मे अंग्रेज लोग यही सोचते थे कि साहित्य लिखना, समझना व पढ़ना सिर्फ अंग्रेजों को ही आता है या उन्हीं का ये सर्वसिद्ध अधिकार है। इस विषम काल में एक आवाज व लेखनी प्रेमचन्द जी के रूप में ऐसी निकली, जिसकी गूंज आज तक गूंज रही है, लिखी व बोली जिन्होंने पूरे अंग्रेजी राज के साहित्यकारों व लेखकों को हिन्दी में अपनी कहानियां व उपन्यास लिखकर संपूर्ण टक्कर दी व उन्हें सोचने, विचारने पर मजबूर किया। 'पंच परमेश्वर' कहानी में जुम्मन शेख व अलगू चौधरी के माध्यम से सत्य अंहिसा व इंसाफ की जीत को दिखाया ना कि दोस्ती के पक्षपात को। नाटक 'कर्बला' में हिन्दू मुस्लिम शक्ति व एकता का संदेश दिया। प्रेमचन्द जी ने 'निर्मला' उपन्यास में विधवा विवाह का समर्थन किया तो उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारा तथा स्वयं का विवाह शिवरानी देवी (जो कि स्वयं एक बाल विधवा थी।) से करके व्यवहार में उसे सिद्ध व लागू किया। उस काल में उन्होंने समसामयिक विषयों पर व सारी प्रचलित समस्याओं व मान्यताओं को सामने रखकर लिखा। 'सेवा सदन' (बाजार-ए-हुस्न), गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे अनेकों उपन्यास लिखे, जिनकी आज भी कोई

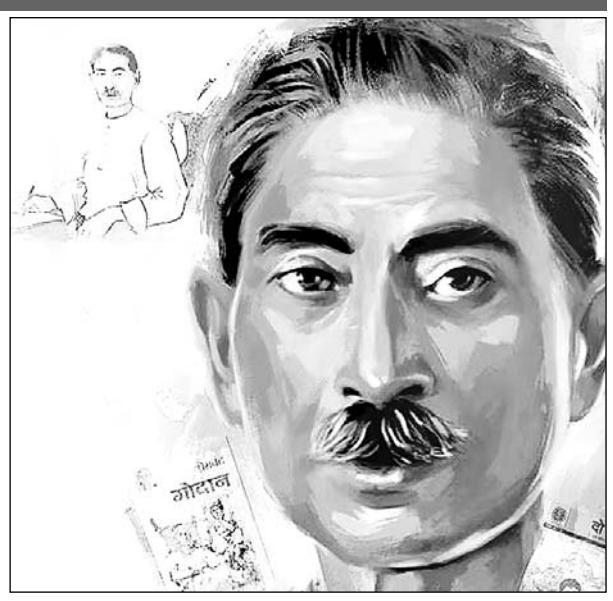

काट नहीं है। 'गोदान' उपन्यास तो पूरे ग्रामीण जीवन व परिवेश तथा रूढिवादी प्राचीन परंपराओं को दर्शाता, दिखाता है। उन्होंने सामाजिक कुरूतियों, अंधविश्वास व ग्रामीण समस्याओं से निकलकर लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से बताया, समझाया व लोहा मनवाया। प्रेमचन्द जी संभवत: सदी के प्रथम ऐसे रचनाकार व साहित्यकार थे, जिन्होंने उपन्यास, कहानी व कथा लेखन को कपोल-कल्पित कल्पनाओं तथा कल्पनालोक के प्रभाव से निकलकर व लोगों को निकालकर आमजनों को वास्तविकता व जमीनी हकीकतोंव विशुद्ध यथार्थ से अवगत करवाया। उन्होंने सरल, सहज व सामान्य, जन साधारण वेशभूषा का उपयोग किया व उन्हें अपने प्रयोग में लाये। उपन्यास के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए, बंगाल के योग्य, प्रख्यात व लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें 'उपन्यास-सम्राट' कहकर संबोधित किया। कहानी 'मंत्र' ये दर्शाती है कि कभी भी अपने चिकित्सकीय पेशे व पैसे का घमंड़ नहीं करें हो सकता है आपको भी कभी गरीब 'भगत' जैसे आदमी से मदद लेनी पड़े।

1930 के आस पास उनका गांधीवाद से मोहभंग हो गया। 'गोदान' इसका सशक्त उदाहरण है इसमें किसान के शोषण, गरीबी तथा उसकी दुर्दशा का ऐसा भयावह चित्रण किया है कि अंत में किसान पात्र 'होरी' की मृत्यु ने पाठकों के अर्न्तमन को अंदर तक झकझोर दिया। कहानी 'ईदगाह' के माध्यम से प्रेमचन्द जी ने यह संदेश दिया कि गरीबी बच्चों को उम्र से पूर्व ही बड़ा बना देती है। असल में व अंत में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि प्रेमचन्द जी कहानी, कविता, पत्रकारिता, संपादन व लेखन क्षेत्र तथा उपन्यास लिखने के संबंध में वे साहित्य का हिमालय व सुमेरू पर्वत थे जिनकी समस्त रचनाएं कालजयी है व वे आज भी बेजोड़ है, चंद पन्नों व पंक्तियों में उन्हें व उनके साहित्य को पूर्णरूपेण समेटना मुश्किल ही नही नामुमकिन है। नकी मृत्यु 8 अक्टूबर, 1936 को 56 वर्ष की अल्प आयु में 'जलोदर' रोग के द्वारा हुई। वे हमेशा आडम्बर व दिखावे से दूर रहते थे तथा अपना काम खुद करना पसन्द करते थे, अगर वे 35-40 वर्ष और जीते तो एसे महाकाव्य, उपन्यास लिख जाते जिनकी कल्पना करना, काफी अतीत से परे व कठिन है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सहस्त्र कोटि नमन।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर में वरिष्ठ आचार्य व होम्योपैथिक चिकित्सक है तथा वरिष्ठ कवि व साहित्यकार है।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

गुगोर गांव स्थित मां बीजासन मंदिर राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र

गुगोर स्थित बीजासन माता।

- **चमत्कारिक रूप से पार्वती नदी के तट पर प्रकट हुई थी बीजासन माता, पहले किले में विराजती थीं बीजासन माता**
- **नवरात्र पर इन दिनों मां बीजासन मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं**

छबड़ा, (निसं)। कस्बे से आठ किलोमीटर दूर राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सीमा पर गांव गुगोर स्थित मां बीजासन मंदिर दोनों राज्यों के भक्तो का आस्था का केंद्र है। यूं तो कस्बे सहित जिलेभर में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन बीजासन माता मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। भक्त यहां सच्ची श्रद्धा से जो भी मन्नत मांगते हैं, वो बीजासन माता के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। नवरात्र पर इन दिनों यहां दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।

ग्रामीणों में यह मान्यता है कि बीजासन माता पहले गुगोर स्थित किले में विराजती थी। किले में आज भी इनका मंदिर हैं, जो वीरान और खाली है। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्राचीन समय में बीजासन माता यहां से नाराज होकर चमत्कारिक रूप से पार्वती नदी के तट पर प्रकट हुई थी। श्रद्धालुओं ने जन सहयोग से यहां माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर निर्माण कराया था। तब से ही यहां राजस्थान ही नहीं मध्यप्रदेश से भी श्रद्धालु भक्ति भाव से माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं, अभी वर्तमान मे प्रवेष द्वार सहित मुख्य द्वार का कार्य निर्माणाधीन है। पूर्व में पार्वती नदी की पुलिया पर पानी की आवक होने के कारण मध्यप्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन मां बिजासन में इनकी आस्था इतनी थी कि यह लोग पार्वती नदी को ट्यूब में बैठकर पारकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन इस नदी पर 16 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनने के बाद आवागमन अब आसान हो गया हैं। एमपी के भक्त अब माता के दर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर पंचायत के तत्वावधान में भव्य पाक्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। लम्बी-लम्बी कतारों में लग भक्त माता के दर्शन और पूजा कर मनौती मांगते हैं।

जंगली जानवर के हमले से युवती घायल

- **अज्ञात जंगली जानवर खेत की ओर भाग गया, युवती को अस्पताल में भर्ती कराया**

झुंझुनूं, (निसं)। नवलगढ़ क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर जंगली जानवर के आंतक से लोग परेशान हैं। रविवार रात्रि को भ्रमण कर रही एक युवती पर भी अज्ञात जंगली जानवर ने हमला बोल दिया।

जानकारी के मुताबिक ढिगाल के पास स्वामी की ढाणी निवासी सुमन रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थी। टहलते समय अचानक से एक जंगली जानवर ने उस पर हमला बोल दिया। यह देख वह चिल्लाने लगी तो उसकी बहन रेणु भागकर आई और उसकी जान बचाई। इतने में अज्ञात जंगली जानवर खेत की ओर भाग गया। हालांकि जंगली जानवर ने सुमन को जगह-जगह से काट डाला। जिससे वह पुरी तरह से घायल हो गई। जिसको परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। इधर घायल सुमन का कहना है कि इस संबंध में जब उन्होंने वन विभाग को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि अभी रात्रिकालीन समय में हम कैसे पकड़पाएंगे।

किसी जानवर को सुबह आकर देखते हैं। लेकिन घटना घटने के बाद भी दोपहर तक वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इधर क्षेत्र में रोज-रोज अज्ञात जंगली जानवरों के शिकार हो रहे पशुओं व लोगों में भय बना हुआ है। लेकिन झुंझुनूं वन विभाग इस आदमखोर जंगली जानवर को पकड़ने में पुरी तरह से विफल नजर आ रहा है।

राशिफल मंगलवार 8 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

अश्विन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 4:08 तक, आयुष्मान योग प्रात: 6:31 तक, बालव करण दिन 11:18 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:08 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-वृष, शुक्र-तुला, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 4:08 तक है। कुमार योग रात्रि 4:08 से आरम्भ होगा। आज नाग पंचमी है और वायु सेना दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:21 से 10:47 तक, लाभ-अमृत 10:47 से 1:41 तक, शुभ 3:08 से 4:35 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:02

मेष

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

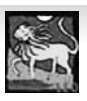

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी अनबन मतभेद बढ़ सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

धनु

आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मकर

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

मिथुन

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।